FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

भेराराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा.का. 111,128 RLRA नं. 44/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.3.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/21 को पेश हो। [signature]	
24/06/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 01/11/2021 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

01/11/2021 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उप. विपार्थीगणों के नोटिस तामिल होकर प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपार्थीगण बावजूद तामिल गैरहाजिर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 18/11/2021 को पेश हो।

18/11/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

30/11/2021 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत कोमरिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया है प्रार्थी व विपार्थीगणों के खातेदारी खेत सेड़ा सेड़ आये हुए हैं प्रार्थी व विपार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुराने माटे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेटों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य खेत के सेटों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सेटों का सही ज्ञान करने हेतु नेयमबन्दी [illegible] है इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी [illegible] किया जाकर नेयमबन्दी आदेश [illegible] जावे। अतः [illegible] निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू०अभि० निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरी नैय्यमबन्दी मौके पर कमिशनर रिपोर्ट जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1412   दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भेराराम पुत्र बगताराम वगैरा 4 जाति कुम्हार, निवासी खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. खेताराम पुत्र धन्नाराम वगैरा 17 जाति कुम्हार, निवासी खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 44 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खींपर, पटवार मण्डल – खींपर , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 691/519, 698/519, 719/576 रकबा क्रमशः 1.0436, 0.6472, 15.4195 हैक्टयर व मौजा– रीदूसर, पटवार मण्डल – खींपर, तहसील– बायतु के खेत खसरा नं. 193/8, 195/8 रकबा क्रमशः 8.5997, 0.0971 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 30/11/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 14137

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को गय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री भेराराम पुत्र बगताराम वगैरा 4
5. विप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र धन्नाराम वगैरा
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु